HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 213/2026
URN: CSA / 318U / 2026

Ashok Agrawal & Anr.

----Appellants

Versus

Nagar Nigam Jaipur

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Mahesh Chand Gupta, Adv. Mr. G.P. Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

08/07/2026

अपीलार्थी/वादीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी/वादीगण का Deemed Permission (निर्माण की परोक्ष स्वीकृति) का प्रकरण था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक विरचित कर उसे विनिश्चित नहीं किया, ना ही विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है। अपीलार्थी/वादीगण का 75 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा है। प्रदर्श–1 विक्रय पत्र के माध्यम से निर्माणाधीन मकान अपीलार्थी/वादीगण ने क्रय किया था। अपीलार्थी/वादीगण ने कोई नवीन निर्माण कार्य वादग्रस्त स्थल पर नहीं करवाया, सिर्फ मरम्मत करवायी थी। विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को अपने आदेश में नजरअंदाज कर दिया। यदि अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया, तो प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी/वादीगण के मकान पर हुए निर्माण को तोड़

दिया जावेगा। अतः अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी आगामी तारीख पेशी तक अपीलार्थीगण/वादीगण के वादग्रस्त मकान पर तोड़–फोड़ नही करे। उक्त आदेश प्रत्यर्थी की तामील के पश्चात प्रभावी होगा तथा आगामी पेशी पर उपस्थित पक्षों को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित किया जावेगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये जावें तथा प्रकरण से संबंधित अभिलेख तलब किया जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/08